



(का.) 07692 - 220444

(नि.) 07692 - 220301

(फैक्स) 07692 - 220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/ २९९९ /एस.डब्ल्यू./2020

सिवनी, दिनांक 30 अप्रैल, 2020


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2932/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 19 अप्रैल, 2020 एवं आदेश क्रमांक 2975/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी दिनांक 28.04.2020, संशोधित आदेश क्रमांक 2982/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 28-04-2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में कर्फ्यू आदेश की अवधि दिनांक 28-04-2020 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 30-04-2020 की रात्रि 12 बजे तक की जाकर, नगरीय क्षेत्र (सिवनी, बरघाट, लखनादौन) एवं ग्रामीण क्षेत्र (कान्हीवाडा, बण्डोल, गोपालगंज, भोमा, लखनवाडा, बखारी, अरी, गंगेरूआ, धारना, आष्टा, बहरई, बोरी, केवलारी पलारी, उगली, चंदनवाडा, पांडियाछपारा, छींदा, अहरवाडा, खापाबाजार, छपारा चमारी, केकडा, भीमगढ, खुर्सीपार, पहाडी, गणेशगंज, सनाईडोंगरी, धूमा, सिहोरा, सिरमंगनी, आदेगांव, करापदोल, सांगईमाल, नागतोरिया, हमीरगढ, नागनदेवरी, दरगडा, मोहगांव, धनककडी, मढी, पाटन, बीबी, घंसौर, कहानी, बिनैकी, गोरखपुर, शिकारा, किंदरई, भिलाई, केदारपुर, कुरई, खवासा, मोहगांव, सुकतरा, बादलपार, चक्कीखमरिया, धोबीसर्गा, पिपरवानी, धनौरा, मझगांवा, सुनवारा, कुडारी) को छोडकर शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सशर्त दुकानें खुलने के आदेश पारित किए गए हैं।

उपरोक्त कर्फ्यू आदेश की अवधि बढ़ाकर दिनांक 30-04-2020 की रात्रि 12 बजे से दिनांक 03-05-2020 की रात्रि 12 बजे तक की जाती है।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

आदेश की शेष शर्तें एवं कंडिकाएं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2932/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 19 अप्रैल, 2020 के अनुसार यथावत रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।


(प्रवीण सिंह)
जिला दण्डाधिकारी
जिला- सिवनी

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
6. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर ।
8. उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाडा।
9. पुलिस अधीक्षक सिवनी ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी ।
11. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी /अपर कलेक्टर, सिवनी ।
12. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी,जिला सिवनी ।
13. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, सिवनी।
14. समस्त एस.ओ.डी.(पुलिस) जिला सिवनी ।
15. थाना प्रभारी, थाना आदेश का कडाई जिला सिवनी की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
16. उप संचालक, जन संपर्क सिवनी की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
17. प्रभारी अधिकारी, कलेक्टोरेट, एन.आई.सी., सिवनी की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी ।
19. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी ।
20. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, सिवनी ।
21. जिला परिवहन अधिकारी, सिवनी ।
22. जिला आपूर्ति अधिकारी, सिवनी ।
23. सम्बंधित समस्त अधिकारी ।


जिला दण्डाधिकारी
सिवनी